सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 37 राँची, शुक्रवार, 18 जनवरी, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

4 जनवरी, 2019

संख्या-5/आरोप-1-77/2017 का. 93-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री विनय कुमार लाल, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-445/03, गृह जिला-भागलपुर), तत्कालीन अंचल अधिकारी, मधुपुर, देवघर के विरूद्ध असर्वेक्षित प्रकृति की भूमि का एन०ओ०सी० निर्गत करने एवं नामांतरण करने, बचत खाता में कम समय में लाखों का लेनदेन करने, पत्नी के नाम से 30 एकड़ की भूमि क्रय करने संबंधी आरोप, जैसा कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2569/रा०, दिनांक 24 मई, 2017 के माध्यम से उपायुक्त, देवघर का पत्रांक-748/रा०, दिनांक 19 अप्रैल, 2017 द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री लाल के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री लाल को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री लाल द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री लाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, देवघर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 37 -- 50